

अत्यावश्यक

बिहार सरकार

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,  
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।  
फोन नं०-0612-2215041, email-scdlsability2008@gmail.com

पत्रांक-सं०-06/रा०आ०नि०-06/2018-358/आ०नि०३१०

दिनांक-29 मार्च 19

प्रेषक,

डॉ० शिवाजी कुमार,  
राज्य आयुक्त निःशक्तता,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी  
-सह-जिला पदाधिकारी,  
बिहार

विषय :-

आगामी लोकसभा आम चुनाव-2019 में दिव्यांगजनों को सुगम्य एवं समावेशी मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त निदेशानुरूप न्यूनतम व अन्य सम्बद्ध सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में।

संदर्भ :-

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्रांक-464/INST/PwD/2016/EPS दि०-07.09.2016 एवं निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-एस1-1-5/2018-36 दि०-18.02.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित मामले में कहना है कि निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-एस1-1-5/2018-36 दि०-18.02.2019 के अन्तर्गत सुगम एवं समावेशी निर्वाचन के अन्तर्गत दिव्यांगजनों के लिए राज्य स्तर पर पुनर्गठित The State Steering Committee on Accessible Elections (SSCAE) कमिटी में अधोहस्ताक्षरी को सदस्य सचिव का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। उल्लेखनीय है कि आगामी लोकसभा का आम चुनाव-2019 बिहार राज्य में सभी सात चरणों के साथ-साथ कुछ विधानसभा का उपचुनाव भी आगामी माह से प्रारंभ हो रहा है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अध्याय-2 की कंडिका-11 पर यह प्रावधान किया गया है कि, सभी मतदान केन्द्र दिव्यांगजनों की पहुँच में हो और निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सभी सामग्री उनके लिए सहजता से समझने योग्य और उनकी पहुँच में हो। विभिन्न जिलों में दिव्यांगों को सुगम्य समावेशी मतदान करने हेतु न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था संबंधित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह-जिला पदाधिकारी बिहार राज्य स्तर से किया जाना है। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्रांक-464/INST/PwD/2016/EPS दि०-07.09.2016 के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को चुनाव प्रक्रिया में पूर्ण एवं रचनात्मक भागीदारी तथा सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में निम्न निर्देश प्रदान किये गए हैं :-

- (1) मतदाता सूची के आधार पर प्रति मतदान केन्द्रानुसार दिव्यांगजनों की सूची, दिव्यांगता का प्रकार अंकित करते हुए, अलग से तैयार की जाए।
- (2) प्रत्येक मतदान केन्द्र के सम्बन्ध में BLOs द्वारा दिव्यांगजनों की पहचान, उनके दिव्यांगता का प्रकार सहित, की जाए तथा संबंधित अभिलेख डाटाबेस में संधारित किए जाए।
- (3) दिव्यांगजनों के मतदान संबंधी तैयार निर्देशों को मतदान केन्द्रों के बाहर प्रदर्शित किया जाए।
- (4) दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के सम्बन्ध में, जहाँ तक संभव हो सके, मतदाता मार्गदर्शिका, मतदाता पर्ची तथा मतदाता पहचान पत्र ब्रेल लिपि में तैयार किया जाए।

कृ०पृ०३०.....



- (5) दिव्यांग मतदाताओं के प्रयोग हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा यथा निदेशित व्हील चेयरों की अभिष्ट संख्या में व्यवस्था कर ली जाए।
- (6) दिव्यांगजनों के मतदान कार्य के सुविधार्थ प्रशिक्षण प्रदत्त निष्पक्ष युवा स्वयंसेवकों की व्यवस्था की जाए।
- (7) दिव्यांग मतदाताओं की आवश्यकतानुरूप यथोचित मतदान मार्गदर्शिका (Voters Guide) की व्यवस्था कर ली जाए।
- (8) प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए दिव्यांग मतदाताओं हेतु निम्न न्यूनतम सुनिश्चित सुविधाएँ (Assured Minimum Facility-AMF) की व्यवस्था कर ली जाए :-
  - (a) राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उचित ढाल (Gradient) के साथ स्थायी रैम्पों की व्यवस्था।
  - (b) ई0वी0एम0 (EVM) में ब्रेल सुविधा की व्यवस्था।
  - (c) मतदान केन्द्रों पर उचित एवं पर्याप्त पहुँच की सुनिश्चितता।
  - (d) मतदान केन्द्रों पर यथोचित पार्किंग सुविधा।
- (9) दिव्यांगजनों के सुविधार्थ मतदान कर्मियों को यथोचित प्रशिक्षण तथा आवश्यकताओं के प्रति संवेदित किया जाना।
- (10) उचित वातावरण निर्माण तथा SVEEP कार्यक्रमों का संचालन।
- (11) उपलब्ध सुविधाओं के संबंध से सभी संबंधित यथा, दिव्यांगजनों, राजनीतिक पार्टियों, मीडिया के मध्य सूचनाओं का प्रसार किया जाना।
- (12) जहाँ तक सम्भव हो सके, दिव्यांगजनों के वृहद संख्या में निवास स्थानों पर विशिष्ट चुनाव बूथों की व्यवस्था करना। दिव्यांगजनों की आवश्यकतानुसार अन्य सुविधाओं यथा उचित शौचालयों, मतदान केन्द्रों के बाहर टेकटाइल चिन्ह तथा दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए ब्रेल लिपि में चुनाव मार्गदर्शिका की व्यवस्था।
- (13) दिव्यांगजनों के मध्य उन मतदान केन्द्रों के सम्बन्ध में पूर्व सूचना का प्रेषण जहाँ व्हील चेयर की अग्रिम ऑनलाईन बुकिंग करायी जा सकती है।
- (14) दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए, जहाँ तक संभव हो सके, डम्मी बैलोट पेपर (Dummy Ballot Paper) की व्यवस्था करना।
- (15) दृष्टिबाधित दिव्यांग मतदाताओं के निबंधन हेतु Audio Application यथा Voice SMS इत्यादि की व्यवस्था।


उक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा आगामी लोकसभा आम चुनाव-2019 को दृष्टिपथ में रखकर दिव्यांगजनों का चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग प्राप्त करने हेतु निम्न सुझाव प्रदान किये जाते हैं :-

- (1) जिले में चिन्हित सभी दिव्यांगजनों की सूची पी.सी.सी.पी. (P.C.C.P.) को उपलब्ध कराया जाय। पी.सी.सी.पी. (P.C.C.P.) ही दिव्यांगजनों को मतदान केन्द्र तक लाने एवं मतदान के पश्चात् घर तक छोड़ने का काम करेंगे। (अनुपालन प्रखंड विकास पदाधिकारी)
- (3) जो दिव्यांगजन पहली बार मतदान करेंगे उन्हें सम्मान पत्र प्रदान किया जाय।(अनुपालन सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी)
- (4) सभी मतदान केन्द्र पर मानक रैम्प की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में निर्वाचन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-एस1-1-5/2018-77 दि0-07.01.2019 के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी "Access For All" नामक पुस्तिका में वर्णित निदेशों के अनुरूप कार्रवाई की जाय।
- (5) प्रत्येक मतदान केन्द्र पर Dedicated Volunteers की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। साथ ही उनके सही-सही प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। (अनुपालन सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/कृषि सलाहकार/जीविका/पंचायत रोजगार सेवक/विकास मित्र)।




- (6) सभी मतदान केन्द्र/भवन में व्हील चेयर की व्यवस्था की जाय।
- (7) सभी मतदान केन्द्र पर ब्रेल बायलेट की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। (अनुपालन सम्बन्धित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी)
- (8) सभी मतदान केन्द्र/भवन में दिव्यांगों के लिए अलग पंक्ति की व्यवस्था आवश्यक है (अनुपालन सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी)
- (9) सभी मतदान केन्द्र पर दिव्यांगों के लिए सुविधामुक्त शौचालय एवं पार्किंग की व्यवस्था आवश्यक है।
- (10) मतदान केन्द्र पर यथोचित Signage की व्यवस्था आवश्यक है।
- (11) जीविका/शिक्षा विभाग/बुनियाद केन्द्र के प्रतिनिधियों को निदेश दिया जाय कि, दिव्यांगजनों मतदाताओं को मतदान करने हेतु जागरूक करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
- (12) जो मानसिक/बौद्धिक रूप से दिव्यांग है उनका अपने माता-पिता या Legal Guardian के सहयोग से मतदान की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।


अनुरोध है कि भारत निर्वाचन आयोग की सुगम एवं समावेशी निर्वाचन हेतु प्रतिबद्धता के आलोक में उपर्युक्त निर्देशों/सुझावों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर अनुपालित कराने की कृपा की जाय। साथ ही अनुरोध है कि इसके सम्बन्ध में एक अनुपालन प्रतिवेदन स्वयं अथवा दिव्यांगजनों के समावेशी मतदान हेतु नामित नोडल पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन  
  
 राज्य आयुक्त निःशक्तता,  
 बिहार, पटना।


जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-06/2018-358/आ0नि0११० दिनांक-29 मार्च'19  
 प्रतिलिपि:-सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

  
 राज्य आयुक्त निःशक्तता,  
 बिहार, पटना।


जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-06/2018-358/आ0नि0११० दिनांक-29 मार्च'19  
 प्रतिलिपि:-अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय, 07, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), निर्वाचन विभाग, बिहार सरकार, पटना-15, को मैं सूचनार्थ प्रेषित।

  
 राज्य आयुक्त निःशक्तता,  
 बिहार, पटना।


जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-06/2018-358/आ0नि0११० दिनांक-29 मार्च'19  
 प्रतिलिपि:-निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
 राज्य आयुक्त निःशक्तता,  
 बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-06/2018-358/आ0नि0११० दिनांक-29 मार्च'19  
 प्रतिलिपि:-सभी जिलों के सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
 राज्य आयुक्त निःशक्तता,  
 बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-06/2018-358/आ0नि0११० दिनांक-29 मार्च'19  
 प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

  
 राज्य आयुक्त निःशक्तता,  
 बिहार, पटना।